डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या(उ0प्र0)
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY,AYODHYA(U.P.)

पत्रांक: 921 / लो0अ0वि0 / भण्डार / 2026 दिनांक : 24/ 10 / 2026

सम्बन्धित फर्मों से खुली बोली हेतु आमंत्रण सम्बन्धी सूचना

एतद्द्वारा सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि आदेशानुसार विश्वविद्यालय में स्थित विभिन्न विभागों/अनुभागों में पड़ी हुई निष्प्रयोज्य सामग्रियों (लोहे की आलमीरा, कुर्सी, मेज, डेस्क बेंच, कॅम्प्यूटर, प्रिन्टर, सी0पी0यू0, लोहे की रैक व स्टील, प्लास्टिक लकड़ी के सामान व अन्य सामान) को विक्रय किया जाना है। इच्छुक फर्म विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में दिनांक 27.10.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे खुली बोली हेतु आमंत्रित है।

(विनय कुमार सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1. सूचना पट्ट, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
2. प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(विनय कुमार सिंह)
कुलसचिव

शर्तों का विवरण

1. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/संस्था दिनांक 24.10.2026 से दिनांक 26.10.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में विश्वविद्यालय के भण्डार विभाग से सम्पर्क कर निष्प्रयोज्य सामाग्रियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
2. नीलामी में इच्छुक व्यक्ति/फर्म दिनांक 27.10.2026 को नीलामी स्थल योगा केन्द्र में पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रतिभाग ले सकते है।
3. यह नीलामी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rmlau.ac.in पर उपलब्ध है।
4. निविदादाता को धरोहर धनराशि रू0 20,000.00 (रू0 बीस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/नगद जो कि वित्त अधिकारी, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के पक्ष में देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में उसकी निविदा में प्रतिभाग पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदादाता को नीलामी से पहले आधार कार्ड/पैन कार्ड/जी0एस0टी0 की कॉपी जमा करना अनिवार्य होगा।
6. उच्चतम बोली दाता को अधिकतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने पर तुरन्त जमा करनी होगी अन्यथा बोली दाता जमा की गई धरोहर धनराशि विश्वविद्यालय के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
7. नीलामी की बोली समिति द्वारा स्वीकृति होने के पश्चात सूचना प्राप्त होते ही उच्चतम बोली दाता शेष धनराशि एवं निलामी की कुल धनराशि, देय अन्य कर सहित एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी, जिसे जमा न करने पर बोली दाता के पक्ष में स्वीकृत की गई नीलामी को निरस्त करते हुए उसकी जमा की गई धरोहर धनराशि विश्वविद्यालय के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
8. नीलामी के स्थल में परिवर्तन माननीय कुलपति महोदय/अध्यक्ष नीलामी समिति के निर्देशानुसार किया जा सकता है, जिसकी सूचना दो दिवस पूर्व विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड/वेबसाइट पर चस्पा/अपलोड कर दी जायेगी।
9. नीलामी प्रक्रिया के अंतिम निर्णलय नीलामी समिति का मान्य होगा।
10. निष्प्रयोज्य सामाग्रियों की बोली "जहां है जैसे है" के आधार पर होगा।
11. एक या समस्त बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा, इस सम्बन्ध में निलामी बोली दाताओं का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
12. नीलामी के किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र–अयोध्या होगा।
13. बोली स्वीकृत होने पर बोली दाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि देय सभी करों सहित जमा करने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर 10 बजे से 05 बजे के बीच कार्य दिवसों में ही निष्प्रयोज्य सामग्रियों को अपने खर्चे पर उठाना होगा अन्यथा विभाग द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क अलग से लगाया जा सकता है। निष्प्रयोज्य सामाग्रियों को प्राप्त करने से पूर्व बोली दाता द्वारा पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड/आधार कार्ड का मूल प्रति प्रेषित करनी होगी।
14. बोली स्वीकृत होने तक अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा जमा की गई धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज अथवा अन्य कोई दावा मान्य नही होगा।
15. कोई भी व्यक्ति दूसरे स्थान पर बोली बिना प्राधिकार–पत्र के नहीं लगा सकता।

कुलसचिव